रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122025-268931
CG-DL-E-30122025-268931

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 836] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 26, 2025/पौष 5, 1947
No. 836] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26, 2025/PAUSHA 5, 1947

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(पशुपालन और डेयरी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2025

सा.का.नि. 922(अ).—भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 64 और उसके साथ पठित धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों का नाम भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (विदेशी पशु चिकित्सा स्नातक पंजीकरण) नियम, 2025 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "अधिनियम" से तात्पर्य भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 (1984 का 52) से है;

(ख) "विदेशी पशु चिकित्सा स्नातक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसने अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल न होने वाले किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से पशु चिकित्सा विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में डिग्री प्राप्त की हो;

(ग) "अनुसूची" से तात्पर्य अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची से है;

(घ) "विश्वविद्यालय" का वही अर्थ होगा जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 2 के खंड (च) में दिया गया है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो यहां परिभाषित नहीं हैं, लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

3. डिग्री और पंजीकरण प्राप्त किए बिना पशु चिकित्सा का अभ्यास करने पर प्रतिबंध — (1) दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय या संस्थान से पशु चिकित्सा विज्ञान या पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में स्नातक की डिग्री प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति भारत में पशु चिकित्सा का अभ्यास नहीं करेगा।

(2) अधिनियम के अध्याय III के प्रावधानों के अतंर्गत भारतीय पशु चिकित्सक के रूप में पंजीकरण के बिना कोई भी व्यक्ति भारत में पशु चिकित्सा का अभ्यास नहीं करेगा।

4. विदेशी पशु चिकित्सा स्नातक का पंजीकरण — अधिनियम के अध्याय III के प्रावधानों के अनुसार किसी भी विदेशी पशु चिकित्सा स्नातक को पंजीकरण प्रदान नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके पास निम्नलिखित योग्यताएं न हों:

(i) किसी विदेशी पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम चौवन माह की अवधि का डिग्री पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो;

(ii) डिग्री प्राप्त करने के बाद उसी विदेशी पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम बारह माह की अवधि का इंटर्नशिप कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो;

(iii) विदेशी पशु चिकित्सा डिग्री, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा के माध्यम से प्राप्त की हो;

(iv) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के न्यूनतम पशु चिकित्सा शिक्षा मानक (पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन स्नातक - डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम, 2016, जो क्रमांक फा.सं.12-5/2015-वीसीआई, दिनांक 8 जुलाई, 2016 को अधिसूचित और भारत के राजपत्र के भाग III, खंड 4 में दिनांक 12 जुलाई, 2016 को प्रकाशित हुए में निर्दिष्ट सभी अनिवार्य विषयों में विदेशी विश्वविद्यालय या संस्थान से सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण की हो;

(v) उस देश में पशु चिकित्सा का अभ्यास करने के लिए पंजीकरण प्रदान करने में सक्षम ऐसे पेशेवर नियामक निकाय के साथ पंजीकृत हो; और

(vi) परिषद या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य संस्था द्वारा आयोजित परीक्षा उत्तीर्ण की हो; और

(vii) उपरोक्त धारा (ii) में निर्दिष्ट इंटर्नशिप कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद भारत में कम से कम बारह महीने का इंटर्नशिप कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

5. पंजीकरण के लिए अर्हता की पात्रता संबंधी शर्तें – विदेश से शिक्षा प्राप्त पशु चिकित्सा स्नातक को पंजीकरण तभी किया जाएगा, जब उसके पास निम्नलिखित योग्यताएं हों:

(i) पहली अनुसूची में निर्दिष्ट पशु चिकित्सा विज्ञान स्नातक या पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन स्नातक की डिग्री के समकक्ष सैद्धांतिक, व्यावहारिक और नैदानिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया हो;

(ii) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के न्यूनतम पशु चिकित्सा शिक्षा मानक (पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन स्नातक - डिग्री पाठ्यक्रम) विनियम, 2016 में निर्दिष्ट नैदानिक विषयों और उनकी उप-विशेषताओं में व्यावहारिक प्रशिक्षण सहित बारह महीने की इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरी की हो;

(iii) उस देश में स्थित विश्वविद्यालय या संस्थान से पूरा पाठ्यक्रम और इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरा किया हो;

(iv) पाठ्यक्रम में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष की कुल अवधि के भीतर संपूर्ण अध्ययन पाठ्यक्रम और इंटर्नशिप सफलतापूर्वक पूरा किया हो।

6. नियमों में छूट देने की केंद्र सरकार की शक्ति - केंद्र सरकार, कुछ विशेष परिस्थितियों में, अधिसूचना द्वारा और उस अधिसूचना में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, किसी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी प्रावधान में छूट दे सकती है।

[फ़ा. सं: के-12052-1/9/2025-एलएच]

आर.एस. सिन्हा, अपर सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(Department of Animal Husbandry and Dairying)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2025

G.S.R . 922(E).—In exercise of the powers conferred by section 64, read with section 17 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Veterinary Council of India (Foreign Veterinary Graduate Registration) Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. - (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) "Act" means the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984);

(b) "foreign veterinary graduate" means a person who has acquired a degree in Veterinary Science or Veterinary Science and Animal Husbandry from a University or institution not included in the Second Schedule to the Act;

(c) "Schedule" means the Schedule annexed to the Act;

(d) "University" shall have the meaning assigned to it in clause (f) of section 2 of the University Grants, Commission Act, 1956 (3 of 1956).

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meaning assigned to it in the Act.

3. Prohibition of practicing veterinary medicine without acquisition of degree and registration. — (1) No person shall practice veterinary medicine in India, without acquiring a degree in Bachelor of Veterinary Science or Veterinary Science and Animal Husbandry, from a University or institution, specified in the Second Schedule.

(2) No person shall practice veterinary medicine in India, without registration as the Indian veterinary practitioner, under the provisions of Chapter III of the Act.

4. Registration of foreign veterinary graduate**.** — No foreign veterinary graduate shall be granted registration in accordance with the provisions of Chapter III of the Act, unless he has-

(i) successfully undergone and completed a degree course in a foreign veterinary University or institution with minimum duration of fifty-four months;

(ii) successfully undergone and completed an internship program for a minimum duration of twelve months after acquiring the degree in the same foreign veterinary University or institution;

(iii) acquired the foreign veterinary degree with medium of instructions in English language;

(iv) successfully passed the examination from the foreign University or institution in all compulsory subjects specified in the Veterinary Council of India Minimum Standards of Veterinary Education- (Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry - Degree Course) Regulations, 2016, notified vide number F.No.12-5/2015-VCI, dated the 8th July, 2016 and published in the Gazette of India in Part III, Section 4, dated the 12th July, 2016;

(v) registered with such such professional regulatory body which is competent to grant registration to practice veterinary medicine in that foreign country ; and

(vi) passed the test conducted by the Council or any other institution specified by the Central Government, by notification; and

(vii) successfully undergone and completed an internship program for a minimum duration of twelve months in India after successful completion of internship program referred to in clause (ii) above.

5. Eligibility conditions of qualifications for registration. - A foreign veterinary graduate shall be granted registration, if he has -

(i) successfully undergone and completed a course of theory, practical and clinical training equivalent to and at par with the course of a degree in Bachelor of Veterinary Science or Veterinary Science and Animal Husbandry specified in the First Schedule;

(ii) successfully undergone and completed the internship of twelve months along with hands-on training in clinical subjects and their sub-specialties referred to in the Veterinary Council of India Minimum Standards of Veterinary Education- (Bachelor of Veterinary Science and Animal Husbandry - Degree Course) Regulations, 2016;

(iii) successfully undergone and completed the entire course and internship from the University or institution situated in the same foreign country;

(iv) successfully undergone and completed the entire course of study and internship with in a total duration of ten years from the date of joining the course.

6. Power of Central Government to relax rules. - The Central Government, in some special circumstances, may relax any provision of these rules, by notification and subject to such conditions as may be specified in that notification, with respect to any class or category of persons.

[F. No.:K-12052-1/9/2025-LH]

R.S. SINHA , Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.12.30 22:40:01 +05'30'